न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 65 सन 2017
अनवान :–

1. मनीराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ढाणी भोभियान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

2. अमीलाल पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ढाणी भोभियान तहसील नोहर

तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 18/02/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कानसर के खसरा न0 936 की 5.5570हैक व खसरा न0 1517/939 की 5.0600हैक कुल 10.6110हैक भूमि जिसमें प्रार्थी अकेला 1/2 हिस्सा तरतीबी अप्राथी 2 का 1/2 हिस्सा के सयुक्त खातेदार काश्तकार है रोही मौजा कानसर के खसरा न0 936 में कुल 5.551हैक दर्ज है नजरी नक्शा भी खसरा न0 936 की कुल 5.551हैक भूमि होनी चाहिये परन्तु कानसर के खसरा न0 936 की 5.551हैक तुलनात्मक रूप से छोटा कर दिया गया है जबकि रोही मौजा कानसर के खसरा न0 1517/939 की 5.0600हैक का नक्शा सही तौर से दर्ज है इसलिये प्रार्थी रोही मौजा कानसर के खसरा न0 936 की 5.551हैक का नजरी नक्शा संशोधित करवाने का अधिकारी है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा कानसर के खसरा न0 936/5.5510हैक भूमि का नजरी नक्शा कृषि भूमि के अनुसार संशोधित करने के आदेश फरमावें।

प्राथी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा खसरा न0 936 का राजस्व नक्शा जमाबन्दी में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार संशोधित (बडा) करवाना चाहते है किन्तु तथ्यों के समर्थन में पूर्व बन्दोबस्त के आवश्यक दस्तावेजात (जमाबन्दी , मिलान क्षैत्रफल, गत नक्शा) प्रस्तुत नही किये गये है दो लगतार बन्दोबस्तों के राजस्व रिकार्ड का तुलनात्मक अध्ययन (सुपर इम्पोजिम) किये बिना वर्तमान राजस्व नक्शा की सरहद को घटाया बढाया जाना विधि सम्मत नही है जबाब शामिल मिसल किया गया अप्रार्थी संख्या 2 तरतबी प्रतिवादी होने के कारण जबाब की आवश्यकता नही है उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के खसरा न0 936 की 5.5570हैक व खसरा न0 1517/939 की 5.0600हैक कुल 10.6110हैक भूमि जिसमें प्रार्थी अकेला 1/2 हिस्सा तरतीबी अप्राथी 2 का 1/2 हिस्सा के सयुक्त खातेदार काश्तकार है रोही मौजा कानसर के खसरा न0 936 में कुल 5.551हैक दर्ज है नजरी नक्शा भी खसरा न0 936 की कुल 5.551हैक भूमि होनी

चाहिये परन्तु कानसर के खसरा न0 936 की 5.551हैक तुलनात्मक रूप से छोटा कर दिया गया है जबकि रोही मौजा कानसर के खसरा न0 1517/939 की 5.0600हैक का नक्शा सही तौर से दर्ज है इसलिये प्रार्थी रोही मौजा कानसर के खसरा न0 936 की 5.551हैक का नजरी नक्शा संशोधित करवाने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में वर्तमान जमाबन्दी , नक्शा प्रस्तुत किया गया है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की खसरा न0 936 का राजस्व नक्शा जमाबन्दी में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार संशोधित (बडा) करवाना चाहते है किन्तु तथ्यों के समर्थन में पूर्व बन्दोबस्त के आवश्यक दस्तावेजात (जमाबन्दी , मिलान क्षैत्रफल, गत नक्शा) प्रस्तुत नही किये गये है दो लगतार बन्दोबस्तों के राजस्व रिकार्ड का तुलनात्मक अध्ययन (सुपर इम्पोजिम) किये बिना वर्तमान राजस्व नक्शा की सरहद को घटाया बढाया जाना विधि सम्मत नही है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा कानसर के खसरा न0 936 के नक्शा में संशोधन (बडा) करने का अनुतोष चाहा गया है एवं अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मात्र एक जमाबन्दी , नक्शा पेश किया गया है जबकि नक्शा संशोधन के लिये पूर्व बदोबस्त की जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल नक्शा व उसके बाद के बन्दोबस्त की जमाबन्दी मिलान क्षेत्रफल एवं नक्शा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था जिससे यह जानकारी हो सकती कि पूर्व खसरा नम्बर से कौनसा खसरा बना है एवं उसके बाद के बन्दोबस्त में उस खसरा के कौनसे खसरे बने है तथा पूर्व बन्दोबस्त के नक्शा एवं उसके बाद के बन्दोबस्त के नक्शा को सुपर इम्पोजिम करने के उपरान्त ही यह ज्ञात हो सकता है कि वर्तमान नक्शा सही है या गलत है यदि गलत है तो कोनसी दिशा में घटाया /बढाया जाना है मात्र जमाबन्दी के आधार पर नक्शों में सशोधन किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों के अभाव में स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/2/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)